

कार्यवाही  
प्रमाणित की जा  
हुक्म की तारीख  
से जारी है

5/25 पत्रावली पेश हुई। वारी- शरीबारी आदि. उफ.)  
शरीबारी आधिकारता द्वारा वाद का जवाब पेश करने हेतु  
अवसर प्राप्त हुआ, अवसर दिया जाकर पत्रावली  
दिनांक 26/12/25 को पेश हो।

16/12/25

5/25 पत्रावली पेश हुई। वारी- शरीबारी आदि. उफ.)  
पत्रावली वास्तु शरीबारी सं. 1 लगा. 3 के जवाब  
हेतु दिनांक 6/1/25 को पेश हो।

26/12/25

6/1/25 पत्रावली पेश हुई। वारी- शरीबारी आदि. उफ.)  
वारी स्वयं उपाहित) वारी द्वारा भादोश्रीवा पर  
वाद पर मैं आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने का  
निवेदन किया गया। वारी आधिकारता द्वारा वारी की  
पहचान की गई। वारी द्वारा उद्धृत वाद पर अ-तर्गत  
द्वारा 183 वादाभास काबलकारी आभिनियम में  
कोई कार्यवाही नहीं चलाने लें वारी द्वारा उद्धृत  
वाद निस्तारित किया जा रहा है। निष्पत्ति सरे इपलात  
सुनाया जाया। रिश्ते पचास वारी हो।  
पत्रावली लेसल शुमार लेकर

वार्जिल इफतर ही तथा नम्बर से कम लें।

6/1/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

वह पत्र  
कोई कार्यवाही  
नहीं चलाने  
है।  
पुष्पा  
6/1/2028

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. प्रभुलाल पुत्र रामा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी सेथूरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा वादी

बनाम

1. गणेश पुत्र देबीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी सेथूरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नन्दू पुत्री हीरा पत्नी भंवर लाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी सेथूरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गंगा पुत्री हीरा पत्नी माधु जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी सेथूरिया हाल मुकाम लसाड़ियाकलां तह0 राशमी जिला चित्तौड़गढ़
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**बाबत कब्जा दिलाया जाने कृषि आराजियात**

प्रकरण संख्या 90/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री केशल लाल कुमावत उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 06.06.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम भेपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निस्तारित किया जाता है।

  
6/6/25  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा